यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (मुख्यालय-कीर्तिनगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (मुख्यालय- कीर्तिनगर) के माह 02/2020 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰एन॰ यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 15/02/2021 से 25/02/2021 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया है।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय/स॰ले॰प॰अ॰, श्री लक्ष्मण सिंह/स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री सत्यबीर/व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.02.2020 से 15.02.2020 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव/वरि॰ले॰प॰अ॰ के अंशकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2017 से 01/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** मार्ग, भवन, सेतु निर्माण एवं उनके अनुरक्षण का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19		---	---	440.46	440.46	3445.15	3445.15	----	----
2019-20		---	---	483.29	483.29	2723.45	2723.45	----	----
2020-21 (up to 01/2021)		---	---	375.35	375.35	4447.26	2968.73	----	1478.53

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 01/2021)						

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (मुख्यालय- कीर्तिनगर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (मुख्यालय- कीर्तिनगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **नबम्बर 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "सिल्काखाल चाचकंडा गोनी एराड़ी कांडी से ढ़ांग मोटर मार्ग (पुर्नरीक्षित स्वीकृति)" का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 10.02.2021 एवं 11.02.2021 में निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2019** तथा **09/2018** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **03/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ 4515678.10

भाग द्वितीय - ₹ 72938.10

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **01/2021** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 2666058.00
(ख) सामग्री क्रय ₹2185473.00
(ग) नगद परिशोधन शून्य
(घ) निक्षेप- ₹ 9848518.00
(ङ) भण्डार- ₹ 534684.00

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : विभागीय शिथिलता के कारण रु 312.62 लाख व्यय तथा वित्तीय स्वीकृति के 04 वर्ष से भी अधिक समय उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना ।

उत्तराखंड शासन द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत थाती डगर से रैतासी मोटर मार्ग का नवनिर्माण 2.00 किमी तथा किमी 2.00 मे 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 313.55 लाख हेतु प्रदान की गयी (माह जुलाई 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु (नवनिर्माण कार्य मार्ग लंबाई 2.00 किमी हेतु) आंशिक स्वीकृति रु 120.82 लाख की प्रदान की गयी (माह अगस्त 2016)। खंड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अंतर्गत माह 10/2016 से माह 07/2020 के मध्य कुल 14 अनुबंध (संलग्नानुसार) रु 92.30 लाख हेतु गठित किए गए थे जिसके सापेक्ष कुल रु 123.95 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण किए गए थे।

पुनः खंड द्वारा 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु रु 192.73 लाख की प्राविधिक स्वीकृति (पूर्व प्राविधिक स्वीकृति को शामिल करते हुये कुल रु 313.55 लाख) की प्राप्त की गयी (माह फरवरी 2019) जिसके सापेक्ष एक अनुबंध (35/SE-8/2019 दिनांकित 08.03.2019) रु 155.54 लाख हेतु गठित किया गया । अंतिम भुगतान बिल (5^{th} running bill) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 122.54 लाख था । फार्म -64 (माह जनवरी 2021) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 312.62 लाख था ।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड , लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (फरवरी 2020) मे पाया गया कि खंड के द्वारा वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुये न केवल मार्ग निर्माण (02.00 किमी) के लिए गठित 14 अनुबन्धो की धनराशि रु 92.30 लाख के सापेक्ष रु 123.95 लाख का (रु 31.65 लाख अधिक) भुगतान किया गया अपितु वित्तीय स्वीकृति के 32 माह बाद सेतु के निर्माण हेतु अनुबंध गठित किए गए जिसका अंतिमिकरण वर्तमान तक नहीं किया गया था। पुनः अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंड द्वारा सेतु के लिए गठित अनुबंध की लागत रु 155.54 लाख के सापेक्ष मात्र रु 122.54 लाख के ही कार्य निष्पादित कराने के बावजूद कुल रु 312.62 लाख का व्यय किया जा चुका था जबकि अनुबंध के सापेक्ष अभी रु 33.00 लाख के कार्य कराये जाने शेष थे, वही सेतु के निर्माण हेतु प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति रु 192.73 लाख के सापेक्ष मात्र रु 155.94 लाख के आगणित लागत हेतु ही अनुबंध गठित किए गए। अतः कार्य की लागत का वित्तीय स्वीकृति से अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। खंड द्वारा कार्य मे देरी हेतु समयावृद्धि भी वर्तमान तक सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि सेतु निर्माण हेतु अनुबंध मे देरी मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने उपरांत प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण एवं सर्वेक्षण एवं समरेखन मे देरी के कारण हुआ। पुनः खंड द्वारा कार्य पूर्ण न हो पाने के संबंध मे बताया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सेतु आवागमन हेतु खोल दिया गया है। पुनः खंड द्वारा कार्य मे देरी हेतु समयावृद्धि की स्वीकृति के संबंध मे बताया गया कि समयवृद्धि आवेदन शीघ्र ही स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के पास प्रेषित किया जा रहा है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि खंड द्वारा शिथिलता बरतते हुये न केवल अनावश्यक रूप से देरी से अनुबन्धो का गठन किया गया जिसके कारण न केवल कार्य पूर्ण किए जाने मे देरी हुई अपितु अपूर्ण कार्य पर ही रु 312.62 लाख व्यय किए जा चुके थे जबकि अभी सेतु हेतु गठित अनुबंध के सापेक्ष रु

33.00 लाख के कार्य कराये जाने अवशेष थे तथा 02 अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य प्रगति पर थे । अतः खंड का यह उत्तर की सेतु आवागमन हेतु खोल दिया गया है, तथ्य से परे है। खंड के द्वारा सेतु के निर्माण पूर्ण करने कि निर्धारित तिथि के 24 माह बाद भी सक्षम अधिकारी से समयावृद्धि प्राप्त नहीं की गयी थी।

अतः खंड द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने के कारण वित्तीय स्वीकृति के 04 वर्ष से भी अधिक समय उपरांत रु 312.62 लाख व्यय के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग- II (ब)</u>

प्रस्तर: 2 - त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर धनराशि ₹42140/- के वेतन/भत्तो का अधिक भुगतान किया जाना एवं सेवानिवृति पर जीपीएफ़ धनराशि ₹14269/- का अधिक भुगतान किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (मुख्यालय- कीर्तिनगर) के अभिलेखों (सेवापुस्तिका एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खंड में कार्यरत कार्मिको का गलत/त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 01 अन्य कार्मिक को उसकी सेवानिवृति पर अधिक जीपीएफ़ धनराशि का अधिक भुगतान किया गया। इन कार्मिकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

<u>श्रीमति गौरी सुंदरियाल/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</u> की दिनांक 06.12.2018 को पदोन्नति प्रधान सहायक (लेवल-6) से प्रशासनिक अधिकारी (लेवल-7) के पद पर हुई थी। जिसके बाद दिनांक 07.12.2018 को इन्होने प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा दिये गए विकल्प के आधार पर इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2019 से खंड द्वारा इनका नए पद पर वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा उक्त तिथि (01.01.2019) को इनका मूलवेतन 49000 निर्धारित किया गया (लेवल-7 में) जोकि त्रुटिपूर्ण निर्धारित किया गया था। नियमानुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 47600 निर्धारित किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में भी इनका गलत वेतन निर्धारण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में दिनांक 11.05.2020 को इनकी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होने के पश्चात दिनांक 12.05.2020 से (नए पद पर योगदान की तिथि से) खंड द्वारा इनका पुन: वेतन निर्धारण किया गया। परंतु विगत वेतन निर्धारण गलत होने की वजह से उक्त तिथि को भी इनका मूलवेतन गलत एवं अधिक निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 52000 निर्धारित किया गया जबकि नियमानुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 50500 होना चाहिए था।

उपरोक्त गलत वेतन निर्धारण की वजह से इनको अधिक भुगतान किए गए वेतन भत्तो की गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा वेतन बिल पंजिका से की गई तो पाया गया कि इनको दिनांक 07.12.2018 से वर्तमान तक (01/2021) **कुल धनराशि ₹42140/-** का अधिक भुगतान किया गया। **(संलग्नक-1)**

इसके अतिरिक्त **<u>श्री राजेंद्र प्रसाद खंडूडी/कार्य अभिकर्ता (सेवानिवृत)</u>** के जीपीएफ़ अभिलेखों (पास बुक एवं लेजर) की नमूना जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में खंड द्वारा लगाए गए ब्याज एवं अंतिम अवशेष की गलत प्रविष्टि पर विगत लेखापरीक्षा में आपप्ति लगाई गई थी। लेखापरीक्षा आपत्ति में इंगित किया गया था कि उक्त कार्मिक का उक्त वित्तीय वर्ष में अंतिम अवशेष रु 358783 होना चाहिए था जबकि खंड द्वारा अंतिम अवशेष की प्रविष्टि रु 370673 की गई थी। परंतु विगत लेखापरीक्षा आपत्ति के बाबजूद खंड द्वारा उक्त प्रविष्टि को नहीं सुधारा गया और गलत अंतिम अवशेष को आगामी वर्षों में अग्रसारित किया गया।

चूंकि श्री राजेंद्र प्रसाद सितंबर 2019 में सेवानिवृत हो चुके हैं जिसकी वजह से खंड द्वारा उन्हे उनके जीपीएफ़ की कुल धनराशि ₹179710/- का अंतिम भुगतान भी किया गया। परंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ब्याज एवं अंतिम अवशेष की गलत प्रविष्टियों को न सुधारे जाने एवं गलत प्रविष्टियों को आगामी वर्षों में भी अग्रसारित किए जाने की वजह से खंड द्वारा इनको जीपीएफ़ की धनराशि के अंतिम भुगतान पर धनराशि ₹13131/- का अधिक भुगतान कर दिया गया। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर इसकी **कुल धनराशि ₹14269/- (संलग्नक-2)** पायी गई।

उक्त दोनों कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि जांच कर कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वत: ही लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: खंड में कार्यरत उक्त दोनों कार्मिकों के प्रकरणों को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

कार्मिक का नाम- श्रीमति गौरी सुंदरियाल/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान का विवरण वेतन बिल पंजिका से लिया गया है।)

(रु में)

डीए (%)	माह	खंड के द्वारा किया गया वेतन भुगतान			लेखापरीक्षा के अनुसार किया जाने वाला वेतन भुगतान			अधिक भुगतान की राशि
		मूलवेतन	डीए	कुल	मूलवेतन	डीए	कुल	
9%	Dec-18	44900	4041	48941	44900	4041	48941	0
	Jan-19	49000	4410	53410	47600	4284	51884	1526
	Feb-19	49000	4410	53410	47600	4284	51884	1526
	Mar-19	49000	4410	53410	47600	4284	51884	1526
12%+9%	Apr-19	49000	10206	59206	47600	9996	57596	1610
12%	May-19	49000	5880	54880	47600	5712	53312	1568
	Jun-19	49000	5880	54880	47600	5712	53312	1568
	Jul-19	49000	5880	54880	47600	5712	53312	1568
	Aug-19	49000	5880	54880	47600	5712	53312	1568
	Sep-19	49000	5880	54880	47600	5712	53312	1568
17%+15%	Oct-19	49000	15680	64680	47600	15232	62832	1848
17%	Nov-19	49000	8330	57330	47600	8092	55692	1638
	Dec-19	49000	8330	57330	47600	8092	55692	1638
	Jan-20	50500	8585	59085	49000	8330	57330	1755
	Feb-20	50500	8585	59085	49000	8330	57330	1755
	Mar-20	50500	8585	59085	49000	8330	57330	1755
	Apr-20	50500	8585	59085	49000	8330	57330	1755
	May-20	*51516*	*8757*	*60273*	*49967*	*8495*	*58462*	*1811*
	Jun-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Jul-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Aug-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Sep-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Oct-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Nov-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Dec-20	52000	8840	60840	50500	8585	59085	1755
	Jan-21	53600	9112	62712	52000	8840	60840	1872
							कुल धनराशि	**42140**

(माह अप्रैल-19 एवं अक्टूबर-19 में डीए का एरिअर भी शामिल है)

कृपया उपरोक्त अधिक भुगतान धनराशि की वसूली करने से पूर्व अपने स्तर से इसकी जांच कर ले।

संलग्नक-2

श्री राजेंद्र प्रसाद खंडूडी अभिकर्ता को अधिक भुगतान किए गए जीपीएफ़ की धनराशि की गणना प्रति

(रु में)

वर्ष	**खंड द्वारा की गई गणना**			**लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना**		
	प्रारम्भिक अवशेष	ब्याज	क्लोसिंग बैलेन्स	प्रारम्भिक अवशेष	ब्याज	क्लोसिंग बैलेन्स
2017-18	269235	23981	370673	269235	24091	358783
2018-19	370673	19740	159695	358783	20146	148211
2019-20 (09/19 तक)	159695	8015	179710	148211	6368	166579

खंड द्वारा किया गया अंतिम भुगतान= ₹179710 (वाउचर नं. B20590001 दिनांक 01.11.2019)

लेखापरीक्षा की गणना अनुसार किया जाने वाला अंतिम भुगतान= ₹166579

अधिक भुगतान धनराशि= ₹179710-₹166579= ₹13131/-

माह 11/2019 से 01/2021 तक अधिक भुगतान धनराशि पर ब्याज (8% वार्षिक की दर पर)= ₹1138/-

वसूली की जाने वाली कुल धनराशि= ₹13131+₹1138= ₹14269/-

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर 3 – मूल स्वीकृति के 14 वर्ष **व्यतीत होने के बाद भी तीन स्वीकृतियों द्वारा कुल रू0 739.12 लाख के सापेक्ष रू0 625.81 लाख व्यय होने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहना।**

जनपद टिहरी गढवाल में कीर्तिनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत चुन्नीलाल खोंगचा पांडव मोटर मार्ग के 08 किमी0 लम्बाई में निर्माण हेतु माह सितम्बर 2006 में निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी थी।

क्रम संख्या	प्रषासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्राविधिक स्वीकृति
1.	सितम्बर 2006, रू0 129.60 लाख, (लम्बाई 08 किमी0)	नवम्बर 2013, रू0 129.60 लाख, (लम्बाई 08 किमी0), अधीक्षण अभियन्ता
2.	पुनः निर्माण एवं डामरीकरण, जुलाई 2016, रू0 339.79 लाख (लम्बाई 06 किमी0)	अगस्त 2016, रू0 339.79 लाख, मुख्य अभियन्ता (टि0क्षे0)
3.	पुनरीक्षित स्वीकृति, अक्टूबर 2016, रू0 269.73 लाख, (लम्बाई 7.475 किमी0)	दिसम्बर 2016, रू0 269.73 लाख, (लम्बाई 7.475 किमी0), प्रभारी मुख्य अभियन्ता (टि0क्षे0)

खण्ड की लेखापरीक्षा माह 02/2021 में पाया गया कि उपरोक्तानुसार कुल रू0 739.12 लाख की स्वीकृतियां विभिन्न समय पर कार्य हेतु प्रदान की गयी थी। खण्ड द्वारा वर्ष 2006 में प्राप्त स्वीकृति (रू0 129.60 लाख) के सापेक्ष लगभग 07 वर्षो बाद वर्ष 2013 में कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें सर्वे भू अध्याप्ति एवं पहाड़ कटान का कार्य सम्मिलित था। खण्ड द्वारा इसके बाद जुलाई 2016 (रू0 339.79) में पुनः निर्माण एवं डामरीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी जिसमें पहाड़ कटान, दिवारों, स्कपर–कैचपिट, डब्लू बी एम सहित डामरीकरण का कार्य सम्मिलित था। जब कार्य चल ही रहा था एवं खण्ड के पास समुचित स्वीकृतियां भी उपलब्ध थी खण्ड द्वारा पुनः 02 माह बाद ही एक और स्वीकृति (रू0 269.73 लाख) प्राप्त की गयी जिसमें दीवारें, पैराफिट एवं स्कपर इत्यादि से सम्बन्धित मदें भी पुनः सम्मिलित कर ली गयी थी। इस तरह कुल मिलाकर रू0 739.12 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त की गयी जबकि 08 किमी0 के सापेक्ष मात्र 06 किमी0 लम्बाई में ही कार्य किया जा सका था। जबकि माह जनवरी 2021 तक कार्य पर रू0 625.81 लाख व्यय किए जा चुके थे।

खण्ड द्वारा अधिक मात्रा में शासन से (बजट) स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से बढ़ाचढ़ा कर आगणन तैयार किए गए जैसे 27 नं0 स्कपर व कैचपिट, 45 स्थानों पर दीवारे एवं 300 पैराफिट तथा कुल रू0 69.33 लाख के अतिरिक्त मद भी निष्पादित किये गये इस सबके बावजूद भी स्वीकृति (वर्ष 2006) के लगभग 14 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण था एवं लक्षित ग्राम तक यातायात की सुविधा नही **पहुंचायी जा सकी थी।**

लेखापरीक्षा में अधिक बजट प्राप्त करने के उद्देश्य से ज्यादा मात्रा में अतिरिक्त मदें, पैराफिट, दिवारें, स्कपर, कैचपिट इत्यादि का आगणन तैयार करने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, कार्य देर से प्रारम्भ एवं अपूर्ण रहने का कारण वनभूमि स्वीकृति देर से मिलना बताया गया। उत्तर मान्य नही था क्योकि स्वीकृति अत्यधिक देर से प्राप्त करना खण्ड का कार्य के प्रति उदासीनता एवं ढुलमुल रवैया प्रदर्शित करता है।

अतः मूल स्वीकृति के 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी तीन स्वीकृतियों द्वारा कुल रू0 739.12 लाख के सापेक्ष रू0 625.81 लाख व्यय होने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 4 : वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष बाद भी कार्य का पूर्ण न हो पाना एवं मार्ग से संबन्धित पूर्ण अभिलेख एवं व्यय विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत सिल्कखाल से चाच कांदा, गोनी,एराडी, काँड़ी से ड़ांग मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (मार्ग लंबाई 10.00 किमी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 139.00 लाख की प्रदान की गयी थी (माह फरवरी 2004) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (माह जनवरी 2016)। पुनः उक्त मार्ग हेतु ही पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति कुल रु 643.324 लाख की (मार्ग लंबाई 8.025 किमी) प्राप्त की गयी (माह दिसंबर 2016) जिसके सापेक्ष खंड द्वारा कुल मार्ग लंबाई 8.025 किमी हेतु कुल रु 643.324 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी । कार्य के निष्पादन हेतु कुल 07 अनुबंध रु 154.47 लाख हेतु गठित किया गया। फार्म-64 (जनवरी 2021) के अनुसार कार्य पर किया गया कुल व्यय रु 453.84 लाख था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड , लो0 नि0 वि0, कीर्तिनगर के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) मे पाया गया कि खंड के द्वारा उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु लेखापरीक्षा को कुल 07 अनुबन्धो की सूची उपलब्ध कराई गयी थी जिसकी कुल अनुबंधित धनराशि रु 154.47 लाख थी जिसके सापेक्ष कुल रु 265.56 लाख का भुगतान किया गया था जबकि फार्म -64 (जनवरी 2021) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 453.84 लाख था जिसके उपरांत भी कार्य अपूर्ण था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु कुल 12 अनुबंध (अनुबंधित धनराशि रु 250.89 लाख) गठित किए गए थे जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण कर लिए गए है। फार्म-64 के अनुसार अधिक व्यय होने के बारे मे खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया गया कि पूर्व के अनुबन्धो के अनुसार भुगतान किया गया वही कार्य अपूर्ण रहने के संबंध मे बताया गया कि मार्ग PMGSY को हस्तांतरित होने के कारण अवशेष कार्य नहीं कराये गए।

अतः खंड द्वारा उपरोक्त मार्ग को वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष बाद भी पूर्ण न कर पाने, एवं मार्ग से संबन्धित पूर्ण अभिलेख एवं व्यय विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर –5 कार्य में विलंब हेतु ठेकेदार पर धनराशि रु 78.81 लाख की LD अधिरोपित नहीं किया जाना तथा निर्माण कार्य के अपूर्ण रहने से उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुॅच मार्ग के नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 150/III(2)/18-10(एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 17.01.2018 द्वारा लम्बाई 2.00 कि0मी0 हेतु कुल लागत रू0 941.36 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (टिहरी क्षेत्र), लो0नि0वि0, नई टिहरी द्वारा पत्रांक : 1380/65(8)याता–(कीर्तिनगर)–टि0/18 दिनांक 15–06–2018 के माध्यम से लम्बाई 2.00 कि0मी0 हेतु लागत रू0 941.36 लाख की प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार मैसर्स कैलाश हिलवेज इंजीनियरिंग एसोसियेट्स के साथ अनुबन्ध संख्या 14/एस.ई.–08/2018–19 दिनांक 01.08.2018, का गठन किया गया जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 75810094.24 एवं आगणित लागत रू0 78175342.59 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 01.08.2018 एवं **अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि कार्य प्रारम्भ की तिथि से 18 माह** (31.01.2020) **निर्धारित की गयी थी तथा कार्य पर निम्न माइल स्टोन निर्धारित किए गए थे।**

माइल स्टोन 1 15% 1/3rd of intended completiom period

माइल स्टोन 2 50% 2/3rd of intended completiom period

माइल स्टोन 3 100% Full intended completiom period

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति में स्पष्ट रूप से प्राविधानित था कि योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माइल स्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुये वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी परन्तु अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा माइल स्टोन के अनुसार कार्य निष्पादित नही किये जाने के वावजूद भी ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति अध्यारोपित नही की गयी थी। अनुबन्ध के section-7 PCC-Clause GCC 46.1के अनुसार 'The liquidated damages for the whole of the works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price. कार्य में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर LD

लगाया जाना था परन्तु अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्य को लेखापरीक्षा तिथि (02/2021) तक पूर्ण नही किया गया था, कार्य को दिनांक 29.02.2020 तक (अनुबन्ध स्वीकृति पत्र के अनुसार समाप्ति की तिथि) पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था, इस प्रकार कार्य समाप्ति की उक्त तिथि 29.02.2020 के पश्चात् लेखापरीक्षा तिथि तक (24.02. 2021) कार्य पर कुल 360 दिनों का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये उक्त section-6 PCC-Clause GCC 46.1के अनुसार LD की धनराशि रू0 7581009.00 (maximum amount of liquidated damages 10% of the initial contract price.) देय थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिये थी परन्तु ठेकेदार के बिलों से कोई भी देय LD की धनराशि की वसूली नही की गयी थी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुये खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्पष्ट था कि लेखापरीक्षा तिथि तक देय LD की धनराशि की वसूली नही की गयी थी जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य हेतु कोई भी समयवृद्धि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान नही की गयी थी।

अत: कार्य में विलंब हेतु ठेकेदार पर धनराशि रु 78.81 लाख की LD अधिरोपित नहीं किये जाने तथा निर्माण कार्य के अपूर्ण रहने से उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	17/2004-05	-	06	-
2.	65/2005-06	01	01,02,03,04	-
3.	69/2006-07	-	01,02,04	-
4.	47/2007-08	01,02	01,02,03	-
5	06/2010-11	01	05	-
6	58/2017-18	-	02	-
7	110/2019-20	-	01,03,04	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग –II(अ)	भाग –II (ब)			
17/2004-05	-	06	अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई है।	शून्य	---
65/2005-06	01	01,02,03,04			
69/2006-07	-	01,02,04			
47/2007-08	01,02	01,02,03			
06/2010-11	01	05			
58/2017-18	-	02			
110/2019-20	-	01,03,04			

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	पदनाम	अवधि
श्री डी॰ पी॰ आर्य	अधिशासी अभियंता	15.12.2020 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	अवधि
श्री श्रवण शाह	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)